जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकःजविप्रा/उपा-3/लालकोठी/डी- 541 दिनांक 4/7/2022

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदक द्वारा दस्तावेजात प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करे, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	ई-512	लालकोठी योजना, जयपुर	श्री गणेश कुमावत व श्री चेतन कुमावत पुत्रान श्री लक्ष्मण	श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री गोरधन लाल	स्वघोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्रों, सजरा शपथ पत्र की प्रति

उपायुक्त जोन-3
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त (जोन -3)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपिः-

1. **जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के कम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।**

उपायुक्त जोन-3
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त (जोन -3)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

PRO/R-809
5/7/22

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष : (0141-2574768) : (0)ईपीबीएक्सः 0141-2569696 एक्सटे.: (8220): फैक्सः +91-141-2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक / ज.वि.प्रा. / उपा. / जोन–4 / 2022 / डी– 1420

दिनांक 4-07-2022.

विज्ञप्ति / सूचना

आवेदक द्वारा दस्तावेजात प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड का लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड पटटा जारी करने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति / संस्था / हितकारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड पटटा जारी करने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	समिति एवं योजना का नाम	आवेदक / आवेदिका का नाम	मूल आवंटनधारी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	10 (उत्तरी भाग)	श्री लक्ष्मी नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना सांवरा विहार	श्री कृष्ण गोपाल शर्मा पुत्र स्व. श्री सत्य नारायण शर्मा	श्री सत्यनारायण शर्मा पुत्र श्री मूलचन्द शर्मा	पंजीकृत लीजडीड, मृत्यु प्रमाण पत्र, उपविभाजन पत्र मय साईड प्लान, पजीकृत हक त्याग के आधार पर

—Sd—
उपायुक्त जोन–4
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जन सम्पर्क, अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करवाते हुये प्रकाशन की एक प्रति अद्योहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवाने का श्रम करावे।
2. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त विज्ञप्ति को जविप्रा की वेबसाईड पर अपलोड करने का श्रम करे।

PRO/R-810
5/7/22

उपायुक्त जोन–4
जविप्रा, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/उपा./जोन–6/22/डी–2036

दिनांक :–4/7/22

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस सम्बन्ध मे यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस मे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय मे अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष मे नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्रं. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आंवटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	भू.सं.–15क (पूर्वी भाग)	रामनगर–क (भैरव गृ.नि.स.स.)	श्री घनश्याम गुप्ता पुत्र श्री श्रवण लाल गुप्ता	श्री श्रवण लाल गुप्ता पुत्र गणेशराम गुप्ता	उत्तराधिकार व अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर।
2.	भू.सं.–15क (पश्चिमी भाग)	रामनगर–क (भैरव गृ.नि.स.स.)	श्री अशोक कुमार गुप्ता	श्री श्रवण लाल गुप्ता पुत्र गणेशराम गुप्ता	अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर।
3.	भू.सं.–108	स्कीम नं.08 सोनी का बाग (म्युचुअल हा.कॉ.सो)	श्री सोमेन दत्ता पुत्र श्री सुधीर रंजन दत्ता	श्री सुधीर रंजन दत्ता पुत्र श्री जतीन्द्र दत्ता	उत्ताधिकार व अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर।
4.	भू.सं. ई–560	मुरलीपुरा स्कीम (जविप्रा)	श्री विजय कुमार सैन पुत्र श्री जगदीश प्रसाद सैन	श्री वीरेन्द्र कुमार उपाध्याय पुत्र श्री रामनारायण उपाध्याय	अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर।

उपायुक्त जोन–6
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम मे उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र मे कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–6
जविप्रा, जयपुर।

PRO/R808
5/7/22

जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

WWW.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक / ज.वि.प्रा / उपा. / जोन–4 / 2022 / डी– 1412 दिनांक 4-07-2022

सार्वजनिक विज्ञप्ति

श्री दिवेश गोयल पुत्र श्री महावीर प्रसाद गोयल एव श्रीमती कीर्ति अग्रवाल पत्नी श्री दिनेश गोयल द्वारा निवासी–570,पुजारी का मोहल्ला हरसोली, तह. कोटकासिम, अलवर, राजस्थान द्वारा न्यू पिंकसिटी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना **सिद्धार्थ नगर–ए के भूखण्ड संख्या 978, के उपविभाजित भाग 400.00 वर्गगज** की ऑनलाईन आवेदन सं. 97704 के द्वारा लीजडीड हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

श्री अंजनी कुमार शर्मा पुत्र श्री युगल किशोर शर्मा द्वारा निवासी–भूखण्ड सं. 36, राम गली नं. 7, सूरज मैदान के पास, राजा पार्क, जवाहर नगर, जयपुर द्वारा न्यू पिंकसिटी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना **सिद्धार्थ नगर–ए के भूखण्ड संख्या 980, के उपविभाजित भाग 400.00 वर्गगज** की ऑनलाईन आवेदन सं. 89290 के द्वारा लीजडीड हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

न्यू पिंकसिटी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना **सिद्धार्थ नगर–ए के भूखण्ड संख्या 978, 979, 980, क्षेत्रफल 1194.62** वर्गगज की लीजडीड क्रमांक 5108 दिनांक 03.03. 2004 को **श्री हरीश माथुर पुत्र श्री लक्ष्मी चन्द माथुर** निवासी– 4 क8, जवाहर नगर, जयपुर को जारी की गई है।

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर लीजडीड जारी किये जाने के संबंध में यदि किसी संस्था / बैंक / वित्तीय संस्था / व्यक्ति / हितधारक को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन से 7 दिवस की अवधि मे मय दस्तावेज के साथ अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है, वाद मियाद कोई आपत्ति स्वीकार नही होगी। आवेदक के पक्ष में लीजडीड जारी करने की कार्यवाही संपादित कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन–4
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि राज्य सरकार के निर्देश अनुसार विज्ञप्ति सार्वजनिक जारी करवाना सुनिश्चित करें।

उपायुक्त जोन–4
जविप्रा, जयपुर।

PRO R-8/2
5/7/22

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर– 302004
दूरभाष - 0141–2574798 : ईपीबीएक्स - 91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई मेल
:dc.zone04@jaipurjda.org

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क्रमांकः–जविप्रा / उपा. / जोन–13 / 2022 / डी–4526 दिनांकः– 5/7/22

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर भूखण्ड का पट्टा / नामहस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया हैं :–

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल हैक्टे. / व. मी. में	नाम / पता	समिति का नाम	योजना का नाम	नामहस्तांतरण / लीजडीड / फ्री होल्ड लीजडीड / अन्य
1.	खसरा नम्बर 841	0.75 हैक्टे	श्रीमती आशा कूलवाल पत्नी श्री रामगोपाल कूलवाल	निजी खातेदारी	ग्राम–बीलपुर, तहसील–आमेर	मोटल प्रयोजनार्थ एकल पट्टा
2.	ए–3 / 10 सी	210.00 व.मी.	मैसर्स शिव शक्ति रोडलाईन्स जरिये श्री अरविन्द बत्रा पुत्र श्री हरी चन्द बत्रा	जविप्रा	ट्रांसपोर्ट नगर योजना द्वितीय फेज	आवंटन / मांग पत्र

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना का प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त, जोन–13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपिः–

1. परामर्शी (जनसम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त, जोन–13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

PRO/R-807
5/7/22

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302 004
दुरभाष91–141–2569795 : ईपीबीएक्स – +91–141–2569696 एक्सटे.: 8340 : फैक्स–+91–141–2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक / ज.वि.प्रा. / उपा. / जोन–4 / 2022 / डी– 1419 दिनांक 4-07-2022

विज्ञप्ति / सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण / लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति / संस्था / हितधारी की कोई आपति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण / लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	76	महावीर नगर प्रथम	श्री वैभव गुप्ता एवं श्री शुभम गुप्ता पुत्रान श्री सत्यनारायण गुप्ता	श्री पदम चन्द जैन पुत्र श्री सूरज मल जैन	पंजीकृत विक्रय पत्र
2	45	शिव शक्ति नगर	श्री सन्नी सिंह पुत्र श्री ललजीत सिंह	श्री सेवा राम पुत्र श्री बैणा राम	पंजीकृत मुख्तयारनामा आम, अपंजीकृत इकरारनामा

Sd

उपायुक्त जोन–4
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें।

04/07/22

उपायुक्त जोन–4
जविप्रा जयपुर।

PRO/R-811
5/7/22

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - 0141–2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई-मेल :dc.zone04@jaipurjda.org

Com-7/D-Letter

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा / उपायुक्त जोन–1 / 2022 / डी– 1971 दिनांक:– 4/7/22

विज्ञप्ति

जविप्रा, जयपुर की झालाना फेज–III आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या–डी–3 श्री विजय लाल पुत्र श्री घासीलाल को आवंटन पत्र जारी किया गया था। श्री विजय लाल पुत्र श्री घासीलाल द्वारा अपंजीकृत इकरारनामा श्री मोहन सिंह पुत्र श्री शंकर सिंह को बेचान किया गया। श्री मोहन सिंह की मृत्यु दिनांक 06.05.1993 को मृत्यु प्रमाण पत्र में अंकित है। श्रीमती मुन्ना देवी पत्नी स्व. श्री मोहन सिंह द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र श्रीमती रामप्यारी देवी पत्नी स्व. श्री शंकरलाल को बेचान किया गया। श्रीमती रामप्यारी देवी की मृत्यु दिनांक 16.10.2016 को मृत्यु प्रमाण पत्र में अंकित है। शंकर लाल की मृत्यु दिनांक 19.02.1981 मृत्यु प्रमाण पत्र में अंकित है। उनके वारिसों द्वारा रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र (1) कैलाश पुत्री स्व. श्री शंकर सिंह (2) पुष्पा पुत्री स्व. श्री शंकर सिंह द्वारा अपना अपना हिस्सा श्रीमती मुन्ना देवी पत्नी स्व. श्री मोहन सिंह, के हक में किया गया। अब उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर नामहस्तान्तरण पत्र करवाने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया है।

उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति / संस्था / फर्म व अन्य को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय के कमरा नं. पीबी–एसएफ–202, पार्किंग स्थल, द्वितीय तल, जविप्रा, जयपुर में उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज करावें, अन्यथा निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार नामहस्तान्तरण पत्र जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

ह0

उपायुक्त जोन–1
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार विज्ञप्ति सार्वजनिक जारी करवाना सुनिश्चित करे।

04/07/2022

उपायुक्त जोन–1
जविप्रा, जयपुर।

PRO/R-816
5/7/22

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 302 004
फोन : 0141–2573150 (O) 0141–2574555 (F) e-mail : jdc.jda@rajasthan.gov.in

E/lallu/Raghunath Ji/vigyapti

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा / उपा. / जोन–14 / 2022 / डी–2682 दिनांक 5/7/22

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर भूखण्ड का पट्टा जारी करवाने हेतु आवेदन किया गया है :–

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	नाम / पता	समिति का नाम	योजना का नाम
1	32	140.27 व.ग.	श्री मदन मोहन एवं श्री अनिल कुमार पुत्रान् स्व. श्री मूलचन्द	पटेल नगर गृ. नि.स.स. लि.	न्याय वाटिका

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में पट्टा जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का पट्टा जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-14
ज. वि. प्रा., जयपुर
उपायुक्त जोन–14
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त जोन-14
ज. वि. प्रा., जयपुर
उपायुक्त, जोन–14
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

PRO/R.815
5/7/22

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर, राजस्थान–302004
दूरभाष – Direct Line-0141-2576296(O), EPBX- 0141-2569696 ,Ext: 8380, Fax- 0141-2574555, email : dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक / ज.वि.प्रा. / उपा. / जोन–4 / 2022 / डी– 1414 दिनांक 4-07-2022.

विज्ञप्ति / सूचना

आवेदिका द्वारा दस्तावेजात प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड का फ्रीहोल्ड पटटा जारी करने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति / संस्था / हितकारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में फ्रीहोल्ड पटटा जारी करने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	समिति एवं योजना का नाम	आवेदक / आवेदिका का नाम	मूल आवंटनधारी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	12	इन्द्रा नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना चन्द्रकला कॉलोनी (हुकमानी)	श्रीमती केतकी मोत्यानी पत्नी श्री चतुर कुमार मोत्यानी	श्रीमती केतकी मोत्यानी पत्नी श्री चतुर कुमार मोत्यानी	समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान, समिति में जमा राशि की रसीद, शपथ पत्र के आधार पर।

sd-

उपायुक्त जोन–4

जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जन सम्पर्क, अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करवाते हुये प्रकाशन की एक प्रति अद्योहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवाने का श्रम करावे।
2. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त विज्ञप्ति को जविप्रा की वेबसाईड पर अपलोड करने का श्रम करे।

04/07/22

उपायुक्त जोन-4

ज.वि.प्रा. जयपुर

उपायुक्त जोन–4

जविप्रा, जयपुर।

PRO/R-814

5/7/22

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर 302004

दूरभाष – 0141–2574798 : ईपीबीएक्स – +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240 : ई–मेल : dc.zone04@jaipurjda.org

Com-3/D-Letter

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./ जोन–4/2022/डी– 1413 दिनांक 4-07-2022.

विज्ञप्ति/ सूचना

आवेदिका द्वारा दस्तावेजात प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड का फ्रीहोल्ड पटटा जारी करने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/ हितकारी की कोई आपति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में फ्रीहोल्ड पटटा जारी करने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	समिति एवं योजना का नाम	आवेदक/आवेदिका का नाम	मूल आवंटनधारी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	ए–71	जय जवान गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना स्कीम नं. 1	श्री सुरेन्द्र मेहता पुत्र स्व. श्री गोवर्धन मेहता एवं श्रीमती लता मेहता पत्नी श्री सुरेन्द्र मेहता	श्रीमती रतन काला पत्नी श्री तेज प्रकाश जी	समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान, समिति व जेडीए में जमा राशि की रसीद, हिस्सा राशि प्रमाण पत्र, पंजीकृत विक्रय पत्र, अपंजीकृत मुख्यत्यारनामा आम, अपंजीकृत इकरारनामा, पंजीकृत मुख्यत्यारनामाआम, पंजीकृत विकय पत्र, पंजीकृत विक्रय पत्र, सहायक रजिस्ट्रार, जविप्रा द्वारा जारी हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन के आधार पर

उपायुक्त जोन–4
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपीः–

1. जन सम्पर्क, अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के कम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समावार पत्र में कराने का श्रम करवाते हुये प्रकाशन की एक प्रति अद्योहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवाने का श्रम करावे।
2. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के कम में उक्त विज्ञप्ति को जविप्रा की वेबसाईड पर अपलोड करने का श्रम करे।

PRO/R.813
5/7/22

उपायुक्त जोन–4
ज.वि.प्रा., जयपुर

उपायुक्त जोन–4
जविप्रा, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन–7/2022/डी– 1251 दिनांकः 24/6/2022

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री दलजीत सिंह साहनी द्वारा योजना–गोविन्दपुरा करधनी ब्लॉक–'ए', जयपुर के भूखण्ड संख्या–ए–94 फ्री होल्ड पट्टा अपने पक्ष में जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त भूखण्ड का फ्री होल्ड पट्टा/लीजडीड अपने पक्ष में जारी करनें हेतु प्रार्थी द्वारा जविप्रा द्वारा जारी आवंटन पत्र आदि प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेजात् के आधार पर योजना–गोविन्दपुरा करधनी ब्लॉक–'ए', जयपुर के भूखण्ड संख्या–ए–94 का फ्री होल्ड पट्टा प्रार्थीया के पक्ष में जारी करने में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर पीबी–एसएफ–218डी, में दर्ज करावें। 07 दिवस की अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में नियमानुसार जाँच पश्चात् पट्टा/लीजडीड जारी कर दिया जावेगा।

उपायुक्त जोन –7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।
2. सिस्टम ऐनालिस्ट, जविप्रा जयपुर।

उपायुक्त जोन –7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

PRO/R-821
5/7/22

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
दूरभाष (0141–2560165) : ईपीबीएक्स–0141–2569696, एक्सटेंशन : 8240 फैक्स : 91+141–257455
email : dczone07jaipurjda@gmail.com

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/उपा./जोन–7/2022/डी– 1320

दिनांक 4/7/2022

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती कमलेश चौहान द्वारा भूखण्ड संख्या 83 स्कीम नं. 16 ए गिरनार कालोनी का पट्टा जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड का भू आवंटन पत्र श्री के.एस. चौहान को जारी किया गया था। प्रार्थिया द्वारा श्री के.एस. चौहान का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर पट्टा जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/पट्टा जारी किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति 7 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नं. पीबी–एसएफ– 218डी में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में एकतरफा कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपिः– जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

PRO/R-828
5/7/22

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
दूरभाष (0141–2560165) : ईपीबीएक्स–0141–2569696, एक्सटेंशन : 8240 फैक्स : 91+141–257455

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा / उपा. / जोन–7 / 2022 / डी– 1312 दिनांक 1/7/2022

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती मनीषा गुप्ता द्वारा भूखण्ड संख्या 48 योजना हीरा नगर–ए का पट्टा जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। सदस्यता सूची में उक्त भूखण्ड पर श्री वासुदेव पुत्र श्री रोचीराम का नाम अंकित है।

अतः उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण / पट्टा जारी किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति 7 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नं. पीबी–एसएफ– 218डी में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में एकतरफा कार्यवाही कर दी जावेगी।

Sd/-

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपिः– जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

PRO/R-821
5/7/22

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
दूरभाष (0141–2560165) : ईपीबीएक्स–0141–2569696, एक्सटेंशन : 8240 फैक्स : 91+141–257455

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा / उपा. / जोन–7 / 2022 / डी– 1303

दिनांक: 30/6/2022

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती पूर्णिमा दवे पत्नी स्व. श्री बृजमोहन दवे द्वारा भूखण्ड संख्या 42 योजना–गोविन्दपुरा करनधीन ब्लाक–डी का पट्टा अपने पक्ष में जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त भूखण्ड का लीजडीड अपने पक्ष में जारी करनें हेतु प्रार्थी द्वारा जविप्रा द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान, आदि प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेजात् के आधार पर भूखण्ड संख्या 42 योजना–गोविन्दपुरा करनधीन ब्लाक–डी का पट्टा प्रार्थीया के पक्ष में जारी करने में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर पीबी–एसएफ–218डी, में दर्ज करावें। 07 दिवस की अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में नियमानुसार जाँच पश्चात् पट्टा / लीजडीड जारी कर दिया जावेगा।

उपायुक्त जोन –7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना का राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।

PRO/R-822
5/7/22

उपायुक्त जोन –7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
दूरभाष (0141–2560165) : ईपीबीएक्स–0141–2569696, एक्सटेंशन : 8240 फैक्स : 91+141–257455
email : dczone07jaipurjda@gmail.com

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा / उपा. / जोन–7 / 2022 / डी– 1294   दिनांकः 29/6/22

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री जयन्त राय पुत्र श्री प्रफुल राय द्वारा भूखण्ड संख्या 73 योजना–अरिहन्त वाटिका का पट्टा अपने पक्ष में जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त भूखण्ड का लीजडीड अपने पक्ष में जारी करनें हेतु प्रार्थी द्वारा सोसायटी द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान, क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र, विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेजात् के आधार पर भूखण्ड संख्या 73 योजना–अरिहन्त वाटिका का पट्टा प्रार्थी के पक्ष में जारी करने में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर पीबी–एसएफ–218डी, में दर्ज करावें। 07 दिवस की अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में नियमानुसार जाँच पश्चात् पट्टा/लीजडीड जारी कर दिया जावेगा।

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण

उपायुक्त जोन –7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना का राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।

PRO/R-823
5/7/22

उपायुक्त जोन –7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
दूरभाष (0141–2560165) : ईपीबीएक्स–0141–2569696, एक्सटेंशन : 8240 फैक्स : 91+141–257455
email : dczone07jaipurjda@gmail.com

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

संख्या D-1334

दिनांक 4/7/2022

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **टैगोर नगर गृ.नि.स.स.** की योजना **शिव विहार–ई** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	कुल रकबा (हैक्टेयर)	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
लालरपुरा तहसील जयपुर	1/203	4.0216	गोपाल पुत्र कल्ला हिस्सा 1/4 बिरधा पुत्र कल्ला हिस्सा 1/4 रामू पुत्र कल्ला हिस्सा 1/4 हनुमान पुत्र कल्ला हिस्सा 1/4 सर्व जाति बलाई सा. देह खातेदार

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे **कमरा नं. पीबी–एसएफ–218डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा** में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 4/7/2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

PRO/R-8/7
5/7/22

Sd
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन–07 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।
2. तहसीलदार, जयपुर, जिला जयपुर।

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन–07 जविप्रा, जयपुर

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

संख्या............D-1341

दिनांक..........5/7/2022

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **मित्र गृ.नि.स.स.** की योजना **एकता नगर–एफ** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 ''क'', धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ''क'' धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	कुल रकबा (हैक्टेयर)	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
धाउवास तहसील जयपुर	22	0.7841	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर, हिस्सा पूर्ण संस्था के लिए
	23	1.0117	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर, हिस्सा पूर्ण संस्था के लिए
	39	3.8951	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर, हिस्सा पूर्ण संस्था के लिए

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे **कमरा नं. पीबी–एसएफ–218डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा** में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक..........5/7/2022..........को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

Sd/-

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन–07 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन–07 जविप्रा, जयपुर

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

PRO/R-918
5/7/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

D-1324 दिनांक. 4/7/2022

प्रस्तावित उपान्तरण

प्रार्थीगण डॉ अंजना शर्मा पत्नी श्री डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा एवं डॉ अरविन्द कुमार शर्मा पुत्र श्री जे.आर. शर्मा के पक्ष में भूखण्ड संख्या बी–1/23, सी–1/27, सी–1/28, सी–1/29, सी–1/30 एवं सी–1/31 के पक्ष में जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की योजना चित्रकूट का पट्टा/हस्तान्तरण पत्र जारी है। नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू– उपयोग परिवर्तन नियम–2010 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू– उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम– 2021 के बिन्दु संख्या – 2 के उपबिन्दु संख्या iv के क्रम में भू– उपयोग परिवर्तन आवासीय से मास्टर प्लान/ जोनल प्लान में दर्शित मिश्रित भू उपयोग प्रयोजनार्थ किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त भूखण्ड के पूर्व की ओर– 18 मीटर चौड़ी सड़क, पश्चिम की ओर – भूखण्ड संख्या बी–1/32, उत्तर की ओर– 30 मीटर चौड़ी सड़क तथा दक्षिण की ओर– 9 मीटर चौड़ी सड़क स्थित है।

कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था इस सूचना को दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की कालावधि के भीतर उपरोक्त भू– उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव निम्न हस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त कालावधि में आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। सूचित रहे।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 4/7/2022 को जारी की गई।

उपायुक्त जोन–7
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपिः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।
2. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त विज्ञप्ति को जविप्रा की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

PRO/R-819
5/7/22

उपायुक्त जोन–7
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
दूरभाष (0141–2560165) : ईपीबीएक्स–0141–2569696, एक्सटेंशन : 8240 फैक्स : 91+141–257455

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन–13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–ज.वि.प्रा. / उपा. / जोन–13 / 2022 / डी– 4524 दिनांकः 4/7/2022

लोक सूचना

निम्न लिखित खातेदारों ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का **गैर–कृषिक प्रयोजन** के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:–

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खातेदार का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल
तहसील–आमेर जिला– जयपुर	ग्राम–घटवाड़ा	1. नाबालिग कमला पुत्री दूला सरंक्षक सरपरस्त माता शान्तिदेवी हिस्सा– 2/49 जाति– मीणा सा. देह खातेदार 2. चौथू पुत्र रामनाथ हिस्सा– 8/49 जाति– मीणा सा. देह खातेदार 3. पप्पू पुत्र रामनाथ हिस्सा– 8/49 जाति– मीणा सा. देह खातेदार 4. बलराम पुत्र दूला हिस्सा– 2/49 जाति– मीणा सा. देह खातेदार 5. मेथा पुत्र रामनाथ हिस्सा– 8/49 जाति– मीणा सा. देह खातेदार 6. मांगू पुत्र रामनाथ हिस्सा– 8/49 जाति– मीणा सा. देह खातेदार 7. लाडादेवी पुत्री रामनाथ हिस्सा– 1/49 जाति– मीणा सा. देह खातेदार 8. शान्तिदेवी पत्नि दूला हिस्सा– 2/49 जाति– मीणा सा. देह खातेदार 9. शिम्भू पुत्र रामनाथ हिस्सा– 8/49 जाति– मीणा सा. देह खातेदार 10. नाबालिग सियाराम पुत्र दूला सरंक्षक सरपरस्त माता शान्तिदेवी हिस्सा– 2/49 जाति– मीणा सा. देह खातेदार,	260 251/1	1.2727 हेक्टेयर में से 1270.95 वर्गमीटर 0.1000 हेक्टेयर में से 641.88 वर्गमीटर
		1. चौथू पुत्र रामनाथ हिस्सा– 1/5 जाति– मीणा सा. देह खातेदार 2. पप्पू पुत्र रामनाथ हिस्सा– 1/5 जाति– मीणा सा. देह खातेदार 3. बलराम पुत्र दूला हिस्सा– 1/10 जाति– मीणा सा. देह खातेदार 4. मेथा पुत्र रामनाथ हिस्सा– 1/5 जाति– मीणा सा. देह खातेदार 5. मांगू पुत्र रामनाथ हिस्सा– 1/5 जाति– मीणा सा. देह खातेदार 6. शान्ति पत्नि दूला हिस्सा– 1/10 जाति– मीणा सा. देह खातेदार,	260/1101	0.0681 हेक्टेयर में से 106.39 वर्गमीटर
			किता–3	**2019.22 वर्गमीटर**

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज .... 4/7/22 .... को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन–13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

PRD/R-806
5.7.22